# न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास भंवर लाल मेहरा आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

**अपील एल.आर. संख्या 49/2018/जिला–नागौर**

हाबूराम पुत्र श्री धोकलराम जाति जाट निवासी छाबासर (पालड़ीकला) तहसील डेगाना जिला–नागौर।

–––अपीलार्थी

## बनाम

1. अनिल कुमार पुत्र श्री सुखराम जाति जाट निवासी पालड़ी कंला तहसील डेगाना जिला नागौर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, डेगाना जिला नागौर।

––––प्रत्यर्थीगण

–––

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी डेगाना जिला नागौर दिनांक 3–10–2017
प्रकरण संख्या 437/2017 बउनवान अनिल कुमार बनाम सरकार

––––

उपस्थित–
1. श्री भींयाराम चौधरी, अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री प्रदीप विश्नाई, प्रत्यर्थी संख्या 1
3. श्री आकाश पारीक, राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 2

## निर्णय

दिनांकः– 11–10–2022

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 अनिल कुमार ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र नक्शा ट्रेस में शुद्धिकरण का उपखण्ड अधिकारी, डेगाना के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे उपखण्ड अधिकारी, डेगाना द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 3–10–2017 द्वारा स्वीकार कर मौजा छाबासर के खसरा नम्बर 15 रकबा 0.24 हेक्टर गै0मु0 आबादी के नक्शा ट्रेस में शुद्धिकरण के आदेश पारित कर दिये। उपखण्ड अधिकारी, डेगाना के उक्त आदेश दिनांक 3–10–2017 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनो पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

अपील के साथ प्रस्तुत एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पर भी उभय पक्ष को सुना गया । अभिभाषक अपीलार्थी ने इस सम्बन्ध में यह तर्क दिया कि वादग्रस्त आराजियात गै0 मु0 आबादी में प्रथम सेटलमेट के समय से ही नक्शे अनुसार दर्ज है। किन्तु उपखण्ड अधिकारी डेगाना ने ग्राम छाबासर पटवार हल्का पालडीकला में गै0मु0 आबादी जो कि प्रार्थी व प्रत्यर्थी संख्या–1 व उसके परिवार के सदस्यों के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की कार्यवाही की गई जिसमें उनको तहसीलदार डेगाना ने अतिक्रमी माना और उक्त तथ्यों को छिपाकर प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय से भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत नक्शे की तरमीम को गलत रूप से दुरूस्त करवा दिया। जिसमें अपीलार्थी को पक्षकार बनाए बिना अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित कर दिया। प्रत्यर्थी संख्या 1 ग्राम छाबासर के गै0मु0 आबादी को हड़प करना चाहता है जिससे सम्पूर्ण ग्रामवासियों छाबासर के हक व अधिकारों पर सीधा असर पड़ रहा है। चूंकि अपीलार्थी के विवादित आराजियात में हित निहित है और उक्त निर्णय से अपीलार्थी प्रभावित पक्षकार होने से अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे।

अभिभाषक अपीलार्थी की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलार्थी विवादित आराजियात में खातेदार नहीं है और ना ही उक्त भूमि पर काबिज काश्त है उपखण्ड अधिकारी, डेगाना के आदेश दिनांक 3–10–2017 से अपीलार्थी कतई व्यथित नहीं है एवं ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य अपील के साथ संलग्न नहीं किया गया है अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकार नहीं रहा है और न ही हाबूराम का मकान अथवा भूमि प्रत्यर्थी संख्या 1 के खसरा नम्बर 15 मे अथवा उसके साथ चिपती हुई है। अपीलार्थी का मकान प्रत्यर्थी संख्या 1 के मकान से लगभग 100 मीटर दूर सड़क के दूसरी तरफ अन्य खसरा नम्बर में स्थित है जिसका प्रत्यर्थी संख्या 1 के खसरा नम्बर 15 व मकान से कोई लेना देना नहीं है और न ही उसको कोई बाधा उत्पन्न होती है जिससे अपीलार्थी कतई उक्त प्रकरण में आवश्यक पक्षकार नहीं है जिससे उन्हें अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किया जाना आवश्यक नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को व्यथित पक्षकार नहीं माना जा सकता है जिससे अपीलार्थी का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पोषनीय नहीं है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी खारिज किया जावे।

उभय पक्षों की धारा–96 सीपीसी पर सुनी बहस एवं उपलब्ध अभिलेख के मनन पश्चात अपीलार्थी प्रभावित पक्षकार होने से अपीलार्थी का धारा–96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि तहसीलदार, डेगाना द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत पटवारी हल्का पालड़ी कला द्वारा प्रकरण संख्या 106/2017, 107/2017 जो कि सरकार बनाम अनिल के नाम से दिनांक

6–7–2017 को दर्ज कर दिनांक 27–7–2017 को 50/– रूपये शास्ति की 50 गुणा अतिक्रमी के विरूद्ध जुर्माना किया और अतिक्रमी मानकर के उक्त भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये और उसके परिवार के सदस्य तुलछाराम पुत्र जेठाराम व तुलसी देवी पत्नी सुखराम के विरूद्ध प्रकरण संख्या 10/2017 और 9/2017 दिनांक 17–4–2017 को प्रस्तुत किया जो कि पटवारी हल्का पालड़ीकला की मौका रिपोर्ट अनुसार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 में प्रकरण दर्ज कर दिनांक 27–6–2017 को तहसीलदार, डेगाना द्वारा तुलसी देवी व अनिल कुमार को अतिक्रमी मानकर 100/– रूपये की शास्ति रकम व बेदखली के आदेश पारित कर दिये और तुलछाराम पुत्र जेठाराम के विरूद्ध 300/– रूपये शास्ति लगान अतिक्रमी मानकर के बेदखली के आदेश पारित किये और उक्त तथ्यों को छिपाकर प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने मिलीभगत कर प्रथम सेटलमेंट के समय से बने नक्शों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है।

उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया कि तहसीलदार डेगाना द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 व उसके परिवार को विवादित आराजियात से बेदखल करने के बजाय प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी डेगाना के समक्ष प्रस्तुत करवा दिया और स्वयं मौका रिपोर्ट प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में प्रस्तुत कर प्रथम सेटलमेंट के समय से नक्शे को अनदेखी करते हुए गांव के अन्य व्यक्तियों के निर्माण कार्यो को तोड़ दिया और अनिल कुमार पुत्र सुखाराम जो कि एक सरकारी कर्मचारी, अध्यापक के पद पर है। ग्राम छाबासर के पूर्व नक्शे अनुसार करीबन आधे गांव के विरूद्ध आबादी क्षेत्र में भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की कार्यवाही की और सभी के पक्के मकान व दीवार व पानी की खेली और स्वच्छ भारत मिशन के तहत अपीलार्थी द्वारा बनवाए गए टायलेट व अपीलार्थी की 200 फिट लम्बी पक्की दीवार और उसके बाद 40 फिट चौड़ा रास्ता होने के बावजूद भी तहसीलदार डेगाना ने द्वेषतापूर्वक प्रत्यर्थी संख्या–1 से मिलकर सावजनिक उपयोग में बनी पानी की खेली जो गांव के सभी जानवर पानी पीते थे उसको तोड़ दिया गया। तुलसी देवी पत्नी सुखराम जो कि एक आंगनबाडी कार्यकर्ता है इसलिए उसके पक्ष में मौका रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जबकि पूर्व मौका रिपोर्ट अनुसार सीमाज्ञान किया गया जिसमें अनिल पुत्र सुखराम और तुलछाराम पुत्र जेठाराम को अतिक्रमी माना उक्त सभी तथ्यों को नजरअन्दाज करते हुए तहसीलदार, डेगाना ने पटवारी हल्का पालड़ीकला से प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में रिपोर्ट बनाकर पेश करने को कहा जबकि वह पटवारी व भू.अ.निरीक्षक की रिपोट में उपस्थित था और उक्त रिपोर्ट के आधार पर ही प्रत्यर्थी संख्या 1 के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमण मानकर उसके विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों को नजरअन्दाज करते हुए विधिविरूद्ध क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है।

उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र नक्शे में दुरूस्ती हेतु अधीनस्थ न्यायालय

के समक्ष प्रस्तुत किया जबकि उक्त धारा के तहत किसी भी प्रकार की त्रुटि कारित होती है तो उसको सुधारा जाता है ना कि किसी प्रकार के नक्शे में तरमीम की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र कयासों के आधार पर अपीलार्थी को हक अधिकारों से वंचित करने के उद्देश्य से अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डेगाना द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 3–10–2017 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रथ्यर्थी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपीलार्थी विवादित आराजियात में खातेदार नहीं है और ना ही उक्त भूमि पर काबिज काश्त है उपखण्ड अधिकारी, डेगाना के आदेश दिनांक 3–10–2017 से अपीलार्थी कतई व्यथित नहीं है एवं ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य अपील के साथ संलग्न नहीं किया गया है अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकार नहीं रहा है और न ही हाबूराम का मकान अथवा भूमि प्रत्यर्थी संख्या 1 के खसरा नम्बर 15 मे अथवा उसके साथ चिपती हुई है। अपीलार्थी का मकान प्रत्यर्थी संख्या 1 के मकान से लगभग 100 मीटर दूर सड़क के दूसरी तरफ अन्य खसरा नम्बर में स्थित है जिसका प्रत्यर्थी संख्या 1 के खसरा नम्बर 15 व मकान से कोई लेना देना नहीं है और न ही उसको कोई बाधा उत्पन्न होती है। अपीलार्थी की भूमि खसरा नम्बर 14 व 15 के पास स्थित नहीं है। विवादित आराजियात का नक्शा गलत बन जाने के कारण से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। विवादित भूमि पर आबादी पुरानी बसी हुई है जो कि राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। राजस्व रेकार्ड में भूमि खसरा नम्बर 15 का नक्शा दुरूस्त किया गया है। खसरा नम्बर 14 का नक्शा दुरूस्ती के आदेश पारित नहीं किये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत तौर पर भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत कार्यवाही की गई है। अपीलार्थी की भूमि  व आबादी के बीच सड़क है। आबादी भूमि को नक्शे में गलत दर्ज कर दिया गया है जिसे एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत सही किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा शुद्धिकरण आदेश जारी किये जिसकी पालना में तहसीलदार द्वारा नया नक्शा जारी कर दिया गया है।

उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी द्वारा खसरा नम्बर 14 में 0.05 हैक्टर पर नाजायज कब्जा कर बाड़े का निर्माण कर लिया है जिस पर पटवारी हल्का द्वारा अतिक्रमी मानते हुए प्रकरण बनाया गया है जिस पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 27–6–2017 को अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 11/2017 में बेदखल करने के आदेश पारित किये है। इसी प्रकार अपीलार्थी के भाई श्रवण राम द्वारा खसरा नम्बर 14 में एक अन्य स्थान पर 0.02 हैक्टर भूमि पर कब्जा किया गया जिसके विरूद्ध भी धारा 91 के तहत प्रकरण संख्या 108/2017 उनवान सरकार बनाम हाबूराम दर्ज कर अपीलार्थी को तहसीलदार डेगाना द्वारा अपने आदेश दिनांक 27–7–2017 को बेदखल करने का आदेश पारित किया गया। इसी प्रकार एक ओर भूमि खसरा

नम्बर 2278 में रकबा 0.32 हेक्टर पर भी अपीलार्थी व उसके भाई श्रवणराम द्वारा अतिक्रमण कर बाड़ा बना लिया जो प्रकरण संख्या 109/17 उनवान सरकार बनाम हाबूराम दर्ज हुआ जिस पर भी तहसीलदार द्वारा अपने आदेश दिनांक 27–7–2017 से अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का आदेश पारित किया है जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी सरकारी भूमि पर कब्जा करने का आदि है। प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में पारित आदेश से अपीलार्थी प्रभावित नहीं है और उसे चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है।

उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना तहसीलदार द्वारा की जाकर राजस्व रेकार्ड, जमाबंदी व नक्शे में तरमीम दुरूस्त कर दी गई है और तहसीलदार द्वारा इसके विरूद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है। वास्तविक तथ्य यह है कि जो आबादी खसरा नम्बर 15 में बसी हुई है वह मौके पर जिस रूप में है नक्शे में उसका अंकन त्रुटिवश गलत हो गया था जिसे विधिवत जांच करने के उपरान्त नक्शे की तरमीम दुरूस्त की गई है इसमें न तो राज्य सरकार को कोई भूमि की हानि हुई है और न ही आबादी भूमि पर मौके पर कोई परिवर्तन ही हुआ है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम छाबासर पटवारी हल्का पालड़ीकला में स्थित विवादित आराजियात खसरा नम्बर 14 रकबा 0.05 व 0.02 हैक्टर पर हाबूराम व श्रवण राम पुत्र धूंकलराम जाति जाट निवासी छाबासर द्वारा नाजायज कब्जा कर बाड़ा बनाकर अतिक्रमण कर लिया है इसी प्रकार सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 227 में से रकबा 0.32 हैकटर भूमि पर हाबूराम, श्रवणराम पुत्र धूंकलराम जाति जाट द्वारा नाजायज कब्जा कर बाड़ा बनाकर अतिक्रमण करने के कारण पटवारी हल्का पालड़ीकला द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अपीलार्थी हाबूराम व श्रवणराम पुत्र धूंकलराम जाति जाट को नोटिस देकर विधिवत सुनवाई का 50 गुणा शास्ति आरापित कर अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये।

यहां यह उल्लेखनीय है कि ग्राम छाबासर के खसरा नम्बर 15 रकबा 0.24 हेक्टर गै0मु0 आबादी में आवंटित भूमि जो जमाबंदी सम्वत् 2072 से 2075 के खाता संख्या 218 में दर्ज है। तहसीलदार, डेगाना की रिपोर्ट दिनांक 7–9–2017 के अनुसार ग्राम छाबासर के खसरा नम्बर 15 रकबा 0.24 हैक्टर भूमि राजस्व रेकार्ड में गै0मु0आबादी दर्ज है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि की पूर्व में तरमीम हुई जिसका कुछ भाग पहाड़ी होने से आबादी बसने योग्य नहीं है तथा मौका रिपोर्ट मे जो भूमि लाल स्याही से दर्शायी गई है इसी अनुरूप मौके पर कब्जा एवं आबादी बसी हुई है तथा अन्य किसी का कब्जा नहीं है। जिस

पर आबादी बसी हुई है। नक्शा ADFGHICJ क्षैत्र में आबादी बसी हुई है जिसके आधार पर ही राजस्व रेकार्ड में तरमीम किया है। विवादित भूमि खसरा नम्बर 15 में अबादी बसी हुई है जो मौके पर जिस रूप में नक्शे में सहवन से गलत अंकन हो गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत जांच उपरान्त नक्शे में तरमीम दुरूस्त करने के आदेश पारित किये गये है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम पालडीकला की फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 1–7–2016 के अनुसार भू–अभिलेख निरीखक द्वारा अपीलार्थी हाबूराम को विवादित भूमि खसरा नम्बर 227 पर अतिक्रमण नहीं करने के लिए पाबन्द किया गया था जिसे अपीलार्थी स्वयं ने स्वीकार किया है कि उक्त गै0मु0 रास्ता की भूमि पर दीवार का निर्माण कार्य नहीं करवायेगा जिस पर अपीलार्थी ने स्वयं भी हस्ताक्षर किये है। अपीलार्थी को विवादित भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने के लिए पाबन्द करने के उपरान्त भी खसरा नम्बर 227 पर अतिक्रमण किया जिसे तहसीलदार डेगाना द्वारा प्रकरण संख्या 109/17 दर्ज कर दिनांक 27–7–2017 को भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा विवादित आराजियात पर अतिक्रमण किया हुआ था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश से अपीलार्थी प्रभावित नहीं है क्योकि यह भूमि आबादी के रूप में दर्ज खसरा नम्बर 15 की है उससे न तो रास्ते पर कोई असर पड़ता है और न ही अपीलार्थी के खेत व मार्ग अवरूद्ध होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–10–2017 विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी) डेगाना द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 3–10–2017 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 437/2017 बउनवान अनिल कुमारा बनाम सरकार विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11–10–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(भंवर लाल मेहरा)**
**संभागीय आयुक्त,**
**अजमेर**